

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

कमांक प.1(1)चि.स्वा./ग्रुप-2/2011

जयपुर, दिनांक : 23.12.2011

आ दे श

गृह (ग्रुप-9) विभाग की अधिसूचना कमांक : प. 20(2)गृह-9/88 दिनांक 20.12.2011 के द्वारा राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं में सामूहिक अवकाश लेने एवं त्यागपत्र दिये जाने को प्रतिषेध किये जाने के उपरान्त भी निम्नलिखित चिकित्सकों द्वारा स्वेच्छा से अनुपस्थित रहकर सरकार एवं जन विरोधी कार्यवाही किये जाने के कारण गृह विभाग द्वारा जारी उक्त अधिसूचना की अवहेलना में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से इन्हें राज्य सेवा से निलम्बित किये जाने के एतद द्वारा आदेश प्रदान करती है:-

1. डा. जी. डी. माहेश्वरी, चिकित्सा अधिकारी, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
2. डा. मोहन लाल सिंधी, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, अलवर
3. डा. अजय चौधरी, चिकित्सा अधिकारी, आर. सी. एच. ओ. चुरू
4. डा. जे. एस. खोसा, क. वि. (शिशु) जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ़
5. डा. जगदीश मोदी, चिकित्सा अधिकारी, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
6. डा. भंवर अजीत सिंह शेखावत, चिकित्सा अधिकारी, जे. के. लोन होस्पिटल, जयपुर।
7. डा. राजेश टेकचंदानी, चिकित्सा अधिकारी, के. एन. टी. बी. सी., अजमेर
8. डा. शिवदयाल मंगल, क. वि. (गायनी) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाडी, धौलपुर
9. डा. अशरफ अली पठान, क. वि. (शिशु), राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर
10. डा. एस. एन. जाट, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, टोंक
11. डा. विष्णु दयाल मीणा, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, झुंझुनू
12. डा. खुशवंत खत्री, चिकित्सा अधिकारी, प्राथ. स्वा. केन्द्र, भियाड, बाडमेर
13. डा. दर्शन ग्रोवर, व. चि. अ., सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालन्दी, सिरौही
14. डा. राकेश हीरावत, चिकित्सा अधिकारी, सैटेलाईट चिकित्सालय, जयपुर
15. डा. दुर्गाशंकर सैनी, ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी, प्राथ. स्वा. केन्द्र, अरन्डखेडा, कोटा

6

16. डा. सुधीर जैन, क. वि. (मेडिसन), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीसांगन, अजमेर से लम्बी अवधि से अनुपस्थित

उक्त चिकित्सकों का मुख्यालय संबंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय में रहेगा।

आज्ञा से,



(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय
- 2- निजी सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय ।
- 3- निजी सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय ।
- 4- उप सचिव एवं निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय
- 5- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग ।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग ।
- 8- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त आदेशों की पुष्टि कराने की कृपा करावें।
- 9- संबंधित जिला कलेक्टर, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आपके जिले के संबंधित चिकित्सक की उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करावें।
- 10- निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्रानुसार आरोप पत्रादि इस विभाग को अविलम्ब भिजवाने की व्यवस्था करावें।
- 11- संबंधित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल,
- 12- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन
- 13- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
- 14- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
- 15- संबंधित अधिकारी को संबंधित जिला कलेक्टर के मार्फत
- 16- कम्प्यूटर सेल/निजी /रक्षित पत्रावली



शासन सहायक सचिव